खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
जुलाई, 2018 माह के लिए मासिक सारांश

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों की पहल के तहत आधार से जुड़ी बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सुविधाओं के साथ अब 3,34,469 (63.19%) उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है। इस समय देश भर में राशन कार्डों की आधार सीडिंग लगभग 84.36 प्रतिशत (परिवार का कम से कम एक सदस्य) तथा राशन कार्ड डाटा में लाभार्थी-वार आधार सीडिंग लगभग 77.25 प्रतिशत है।
- दिनांक 01.08.2018 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक 627.13 लाख टन (218.55 लाख टन चावल तथा 408.58 लाख टन गेहूं) है, जो अनुकूल स्थिति है।
- वर्ष 2018-19 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) नीति की घोषणा 11.07.2018 को की गई थी। वर्ष 2018-19 में खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूँ की बिक्री के लिए 100 लाख टन मात्रा निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए गेहूँ का आरक्षित मूल्य क्रमश: 1900 रुपए, 1925 रुपए और 1950 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। अन्य राज्यों के लिए रेल भाड़ा, लुधियाना से निकटतम रेलशीर्ष तक और रेलशीर्ष से उस डिपु, जहां बिक्री की गई है, तक सड़क परिवहन लागत उपर्युक्त आरक्षित मूल्य में जोड़ी जानी होती है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन बिक्री हेतु 20 लाख टन ग्रेड-'ए' चावल की मात्रा भी रखी गई है। चावल का अरक्षित मूल्य 30 सितंबर, 2018 तक बोली हेतु 2500 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। एक अक्तूबर, 2018 से इसे 2500 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाले गए मूल्य (ग्रेड-'ए' धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य x (1.5)), जो भी अधिक हो, को लिया जाएगा।
- जुलाई, 2018 तक खुले बाजार में 1.77 लाख टन गेहूं और 0.52 लाख टन चावल की कुल मात्रा बेची गई थी।
- वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान 06.08.2018 की स्थिति के अनुसार पूर्वी राज्यों में चावल के रूप में 59.93 लाख टन धान सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी गई है जबकि खरीफ विपणन मौसम 2016-17 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 56.62 लाख टन की खरीद की गई थी।
- वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान देश के अन्य भागों में खरीद तेजी से हुई है, जिसमें 430 लाख टन के लक्ष्य के प्रति धान के रुप में 363.67 लाख टन चावल की खरीद (दिनांक 08.08.2018 की स्थिति के अनुसार) पहले ही कर ली गई है। रबी विपणन मौसम 2018-19 के दौरान 320 लाख टन के लक्ष्य के प्रति 355.22 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

- भारतीय खाद्य निगम की पुन: संरचना के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संबंध में प्रगति निम्नानुसार है:-

(क) डिपो ऑनलाईन प्रणाली फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के सभी 530 कार्यशील डिपुओं में प्रचालनरत है। केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में डिपो ऑनलाईन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए सभी 156 डिपुओं में कार्यान्वित की गई है।

(ख) जहां तक आधुनिक साईलोज के निर्माण का संबंध है, 85 स्थानों पर कुल 44.25 लाख टन क्षमता के लिए साईलो ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है, जिसमें से 13 स्थानों पर 6.25 लाख टन क्षमता का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3.00 लाख टन के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और 35.00 लाख टन के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है।

- 31.07.2018 तक पीईजी स्कीम के अधीन 141.47 लाख टन की संचयी क्षमता पूर्ण कर ली गई हैं। माह के दौरान अरूणाचल प्रदेश में 75 टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण किया गया है।
- चीनी मौसम 2017-18 हेतु 06.08.2018 की स्थिति के अनुसार 84740 करोड़ रुपए के कुल देय गन्ना मूल्य में से 68994 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और 15746 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य लंबित है।
- केन्द्र सरकार ने विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडेड कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति करने तथा इससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करके उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से इथेनोल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और इसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों हेतु वित्तीय सहायता देने की स्कीम दिनांक 19.07.2018 को अधिसूचित की है।
- दिनांक 18.07.2018 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी मौसम 2018-19 के लिए 10 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 275 रुपए प्रति क्विंटल अनुमोदित किया है; जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 2.75 रुपए प्रति क्विंटल के प्रीमियम; जिन मिलों की रिकवरी 10 प्रतिशत से कम है लेकिन 9.5 प्रतिशत से अधिक है उनके संबंध में रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की गिरावट के लिए उचित और लाभकारी मूल्य को आनुपातिक रूप से 2.75 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कम करने और जिन मिलों की रिकवरी 9.5 प्रतिशत अथवा उससे कम है उनके लिए 261.25 रुपए प्रति क्विंटल के उचित और लाभकारी मूल्य का प्रावधान है।
- गन्ना नियंत्रण आदेश को का.आ. 3663 (अ)/आ.व./गन्ना दिनांक 26.07.2018 द्वारा संशोधित करके गन्ने के रस/बी-हैवी शीरे से सीधे इथेनोल का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है।

****